राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, जयपुर

बस स्टेण्डों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध
कराने एवं स्टाल आवंटन हेतु
दिशा–निर्देश.

2

राज़स्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

विषय–सूची

क.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	स्टाल आवंटन हेतु दिशा–निर्देश प्रथम भाग (प्रस्तावना, वर्गीकरण, अनुज्ञा)	1–8
2.	स्टाल आवंटन हेतु दिशा–निर्देश द्वितीय भाग (समिति का गठन एवं निविदा प्रकिया)	9–17
3.	परिशिष्ट–1 निविदा सूचना का प्रारूप	18
4.	परिशिष्ट–2 निविदा प्रपत्र का प्रारूप	19
5.	परिशिष्ट–2 घोषणा–पत्र का प्रारूप	20
6.	परिशिष्ट–2 निविदा शर्ते का प्रारूप	21–24
7.	परिशिष्ट–3 लाईसेंस प्रपत्र का प्रारूप(हिन्दी / अंग्रेंजी)	25–26
8.	परिशिष्ट–4 अनुबन्ध पत्र का प्रारूप	27--35
9.	परिशिष्ट–5 स्टाल आवंटन पत्र का प्रारूप	36
10.	परिशिष्ट–6 अनुबन्ध समाप्ति पत्र का प्रारूप	37
11.	परिशिष्ट– 7 अनुबन्ध निरस्तीकरण का प्रारूप	38
12.	परिशिष्ट-- 8 राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्याँ प. 5/7/सा.प्र./2/75 दिनांक 23.4.2001 की प्रतिलिपि	39–40

विज्ञापन शाखा, मु० 3 6

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक:एफ(94)/मुख्या/प्रशा./वि.के./2007/519 दिनांक: 23.5.2007

परिपत्र

निगम मण्डल की 227वीं सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के निर्णय संख्या 21/2007 दिनांक 18.5.2007 की अनुपालना में निगम बस स्टैण्ड परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ को लाईसेंस पर आवंटन करने के सम्बन्ध में विज्ञापन शाखा,मुख्यालय,जयपुर द्वारा समय-समय पर पूर्व में जारी समस्त नीति/परिपत्र/आदेशों को अधिलंघन कर बस स्टैण्डों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं स्टाल आवंटन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

वर्तमान में जो दुकान/स्टॉल/बूथ संचालित है, उनकी लाईसेंस अवधि समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया जावे । आगारीय समिति द्वारा भविष्य में संलग्न दिशा-निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाकर ही दुकान/स्टाल/बूथ के आवंटन की कार्यवाही की जावे ।

यह दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

संलग्न:उपरोक्तानुसार पृष्ठ 1 से 40

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:एफ(94)/मुख्या/प्रशा./वि.के./2007/519 दिनांक: 23.5.2007
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष( ),रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक (संचालन),............... जोन, रापनि,मुख्या,जयपुर ।
4. संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त-अंकेक्षण),रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,रापनि,केन्द्रीय कार्यशाला,........................ ।
6. समस्त मुख्य प्रबन्धक,रापनि,.................................. आगार ।
7. आदेश पत्रावली ।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

4

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

स्टाल आवंटन दिशा--निर्देश, 2007

1. आवश्यकता:

राजस्थान परिवहन निगम की गैर संचालन आय में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि दुकानों/स्टॉल के आवंटन हेतु समुचित साधन उपलब्ध कराये जावे ताकि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी कर इस क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाया जा सके ।

बस यात्रियों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही है । आज यात्रियों की मांग है कि उन्हें उच्च स्तर की खान–पान सेवा मिले, खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता हो, उत्पादन में विविधता हो, उच्चस्तर की स्वच्छता हो तथा यात्री प्लेटफार्म पर स्टॉल की भरमार भी न हो ।

यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भीड़ रहित स्थल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान परिवहन निगम प्रतिबद्ध है । माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आय में वृद्धि को ध्यान में रखकर स्टाल आवंटन की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी हो तथा निविदा में भाग लेने वाली संस्थाओं में भी स्वस्थ प्रतियोगिता हो एवं यात्रियों को कम से कम दर पर विविध प्रकार के प्रमाणित गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो ।

निगम मण्डल की स्वीकृति से वर्तमान नीति वर्ष 1997 एवं 2003 में जारी की गई थी तथा इसमें विभिन्न आदेशों के माध्यम से कई बार संशोधन भी किये गये एवं स्टालधारी की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें पुनः बदला गया था । इस प्रकार आगार स्तर पर वर्तमान परिस्थिति में एकरूपता नहीं है । अतः पूर्व में जारी सभी आदेशों को समाप्त कर नये दिशा–निर्देशों का निर्धारण किया जाता है । यदि निगम मण्डल द्वारा भविष्य में इस नीति में कोई सुधार एवं परिवर्तन किया जाता है तो वह सभी वर्तमान स्टालधारी/अनुज्ञाधारी पर बिना किसी पूर्व नोटिस के लागू माना जावेगा ।

2. दुकान/स्टाल के प्रकार :

राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर निम्न प्रकार की दुकान/स्टालों को संचालित किया जा सकता है :–

टी स्टॉल, कैंटीन, फूड स्टॉल, ज्यूस स्टॉल, बुक स्टॉल, कन्फेशनरी स्टॉल, जनरल स्टोर, खिलौना स्टॉल, स्थानीय प्रसिद्ध वस्तु एवं खाद्य पदार्थ, मेडिकल स्टोर, फास्ट फूड सेंटर, आईसक्रीम पार्लर, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर, मोची,

कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर, एस.टी.डी. बूथ, साईबर कैफे, फ्रेश वेजिटबल स्टोर, मिल्क बूथ, वाटर स्टेशन, ए.टी.एम. बूथ, स्नेक बार, फ्लोवर, स्टाल, मोबाईल स्टॉल, सी.डी. /केसिट सैंटर आदि ।

बस स्टैण्ड परिसर स्थित स्टॉलों में वायु प्रदूषण,ध्वनि प्रदूषण,ट्रेवल एजेंट, धूमपान सामग्री व मादक पेय एवं पदार्थों के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा ।

3. बस स्टैण्डों का वर्गीकरण :

राजस्थान परिवहन निगम का प्रयास अपने सभी बस स्टैण्डों पर वर्तमान में स्थित सभी स्टॉल आदि को भीड़ की स्थिति से मुक्त करना है ताकि यात्रियों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी खाद्य पदार्थ आदि उपलब्ध हो सके एवं आकर्षक, साफ–सुथरा, प्रदूषण मुक्त यात्री प्लेटफार्म उनकी यात्रा को सुखद बना सके । इसके लिए बस स्टैण्डों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाता है ।

'ए' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

राज्य की राजधानी जयपुर स्थित केन्द्रीय बस स्टेण्ड(CBS)/दिसावर/केन्द्रीय बस स्टेण्ड(CBS),अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अलवर ।

- बर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फास्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक सयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ/ ठंडे पदार्थो को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की स्टॉल आवंटित नहीं की जावे । सभी स्टॉल आदि मुख्य भवन तक ही सीमित होंगे ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।
- सभी स्टैण्डों पर एकरूपता के(मॉडुलर) स्टॉल ही स्थापित किये जावेंगे ।

'बी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

जिला स्तर के शेष सभी बस स्टैण्ड :-

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फास्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक सयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ/ ठंडे पदार्थो को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की स्टॉल आवंटित नहीं की जावे । सभी स्टॉल आदि मुख्य भवन तक ही सीमित होंगे ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे, केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।
- सभी स्टैण्डों पर एकरूपता के(मॉडुलर) स्टॉल ही स्थापित किये जावेंगे ।

'सी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

नगर पालिका स्तर के सभी बस स्टैण्ड ।

- वर्तमान केंटीन के स्तर को आधुनिक फास्ट फूड सेंटर के रूप में विकसित किया जावे । जहां सभी प्रकार के आधुनिक सयंत्र, खाद्य पदार्थ को पकाने, संग्रह करने, गर्म पदार्थ/ ठंडे पदार्थो को सर्व करने हेतु सुविधा उपलब्ध हो ताकि यात्रियों को उच्च स्तर की हाईजैनिक कंडीशन मिल सके ।
- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर सभी एकरूपता के (मॉडुलर) स्टॉल ही स्थापित किये जावेगें ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय

Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।

- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

'डी' श्रेणी के बस स्टैण्ड :

तहसील स्तर के समस्त बस स्टैण्ड ।

- मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर सभी एकरूपता के स्टॉल (मॉडुलर) ही स्थापित किये जावेगें ।
- कूकिंग फ्री प्लेटफार्म – यात्री प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के भोजन पकाने और तलने की अनुमति नहीं दी जावेगी । यात्रियों को केवल प्री–कूक्ड आईटम ही उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उच्च स्तरीय Biodegradeble एवं Ecofriendly container ही उपयोग में लिये जायेंगे । माईक्रोवेव तथा गैस के चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जावेगा । भट्टी, चूल्हे,केरोसिन स्टोव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्लेटफार्म पर स्टॉलधारी द्वारा घूमकर खाद्य पदार्थ बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ।
- प्रत्येक स्टॉल के पास डस्ट–बिन स्थापित किये जावेंगे जिनकी सफाई की व्यवस्था स्टॉलधारी द्वारा की जावेगी ।
- डिंस्पोजल कप–प्लेट आदि को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

4. **यात्री सुविधा का विस्तार :**

राजस्थान परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्डों पर मौजूदा स्टॉल को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि यात्री प्लेटफार्म पर स्टॉल्स की अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो तथा यात्रियों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सके । ऐसें चिन्हित स्थानों पर वर्तमान में स्टॉल आवंटित की हुई है तो उसे वर्तमान लाईसेंस अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध स्थान के अलावा आनुपातिक रूप से पुर्ननिर्धारण कर आवंटन किया जावेगा ।

6

5. **खान–पान की दर :**

राजस्थान परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्डों पर चाय, कॉफी एवं पीने के पानी (मिनरल वाटर/वाटर स्टेशन) की दर परियहन निगम द्वारा निर्धारित दर पर ही विकय की जावेगी । अन्य पदार्थों को निर्माता द्वारा निर्धारित अधिकतम अंकित मूल्य (M.R.P.) से अधिक दर पर विकय नहीं किया जावेगा ।

6. **अनुज्ञा (लाईसेंस) की अधिकतम सीमा :**

अधिकतम

लाईसेंस ~~प्राथमिक तौर पर~~ तीन वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किये जावेंगे तथा लाईसेंसधारी को प्रत्येक माह के निर्धारित शुल्क का भुगतान पिछले माह की अंतिम तिथि तक करना होगा । प्रत्येक लाईसेंसधारी की प्रथम वार्षिक अवधि समाप्त होने से कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व आगार स्तरीय समिति द्वारा उस लाईसेंसी के नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा तथा आगामी अवधि के लिए उपयोगिता के आधार पर आगारीय समिति गत वर्ष की निर्धारित लाईसेंस फीस में 10 ~~प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर पर बढ़ोतरी~~ कर उनसे आगामी 12 माह की लाईसेंस फीस की राशि के पोस्ट डेटेड चैक ~~प्राप्त कर नवीनीकरण~~ कर सकेंगे ।

~~यदि किसी स्टाल की निविदा में लाईसेंस फीस के प्रस्ताव 50,000/– रूपये~~ अथवा ~~उससे अधिक प्रतिमाह~~ के प्राप्त होते हैं ~~तो उनका नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा~~ । जिसकी लाईसेंस फीस में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्धि की जावेगी ।

~~उपर्युक्त प्रत्येक तीन~~ व 5 ~~वर्ष (प्रकरण के अनुसार) की अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदाएं~~ आमंत्रित ~~कर नवीन उच्चतम निविदादाता को स्टाल समय पर दिशा–निर्देशानुसार~~ आवंटन ~~की कार्यवाही~~ की जावेगी ।

7. **अनुज्ञा (लाईसेंस) का हस्तान्तरण :**

स्टॉल का लाईसेंस अहस्तान्तरणीय (Non-transferable) होगा एवं लाईसेंसी स्वयं स्टाल का संचालन करेगा । स्टॉल को सब–लेट (Sub-Let) नहीं किया जा सकेगा, यदि किसी स्टॉलधारी की लाईसेंस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो लाईसेंसधारी पर आश्रित उसकी पत्नि के नाम हस्तान्तरित किया जा सकेगा । पत्नी के स्वयं स्टॉल संचालित करने में सक्षम नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालिग होने की दशा में पत्नी के शपथ–पत्र पर पति/पत्नी के माता–पिता, भाई, बहन या नाबालिग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार सम्बन्धित आगारीय समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन उस जोन के महा प्रबन्धक(संचालन) से कराने के पश्चात् ही मृतक लाईसेंसधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा ।

8. अनुज्ञा (लाईसेंस) की शर्ते :

लाईसेंस पूर्णतः अस्थाई आधार पर दिये जायेंगे । लाईसेंसधारक को बिजली एवं पानी का कनेक्शन अपने स्तर पर लेना होगा तथा सम्बन्धित विभाग को उनके शुल्क के भुगतान भी अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा । लाईसेंसधारी वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण,गदंगी एवं कचरा फैलाने, लाईसेंस की निर्धारित शर्तो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विक्रय,मादक पेय एवं पदार्थों के विक्रय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं सड़े गले खाद्य पदार्थो के विक्रय,अश्लील साहित्य एवं पत्रिकाओं के विक्रय, स्टॉल में किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण,संशोधन,परिवर्तन करने, निर्धारित क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्र के उपयोग व आवागमन में अवरोध उत्पन्न करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । इन सभी शर्तो का उल्लेख अनुज्ञा–पत्र एवं अनुबन्ध–पत्र में किया जायेगा जिसका प्रारूप परिशिष्ट 3 एवं 4 पर उपलब्ध है ।

9. सरकारी कर्मचारी हेतु आवंटन प्रक्रिया :

केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी व उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को राजस्थान परिवहन निगम के किसी भी बस स्टैण्ड पर स्टॉल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा ।

10. एकल पंच की नियुक्ति :

अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तो एवं अनुबन्ध के निर्विचन् के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे । जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिनां एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे । उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं । पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा ।

11. अनुज्ञा (लाईसेंस) का निरस्तीकरण :

लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने, निर्धारित शुल्क का समय पर भुगतान ना करने अथवा बस स्टैण्ड का विस्तार/जनसुविधाओं के निर्माण या किसी अन्य कार्य के लिए निगम को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसधारी को एक माह का नोटिस देकर स्टॉल को खाली करने की अपेक्षा करते हुए आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर जोन के महा प्रबन्धक (संचालन) किसी भी लाईसेंस का निरस्तीकरण कर सकेंगे तथा विद्युत एवं जलदाय विभाग के कनेक्शन कटाने की कार्यवाही की जा सकेगी । यदि लाईसेंस की शर्तो के

उल्लंघन पर आगार स्तरीय समिति अधिकतम एक माह के लिए लाईसेंसधारी का लाईसेंस भी निलम्बित कर सकेगी । निलम्बन की अवधि में व्यवसाय पर रोक भी लगा सकेगी ।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाईसेंसी को केवलमात्र 48 घण्टे का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है :-

- यदि लाईसेंसधारी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है ।
- यदि लाईसेंसधारी एक माह की अवधि की लाईसेंस फीस जमा कराने में असमर्थ रहा हो ।
- यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है ।
- यदि लाईसेंसधारी ने लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निविदा में कोई अधूरी,गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो ।

लाईसेंस के निरस्त करने की स्थिति में लाईसेंसधारी निगम परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा लाईसेंसधारी परिसर में 24 घण्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा ऐसा नहीं किये जाने पर निगम का सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा देगा । लाईसेंसधारी का फर्नीचर व अन्य समस्त सामान सक्षम अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा व उसको बिकी अथवा अन्य प्रकार के डिस्पोज करने का अधिकार होगा और निगम से ऐसी सूरत में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा । इस सम्बन्ध में किया गया खर्चा सामान की बिकी मूल्य या अमानत राशि में से वसूली करने का अधिकार निगम को होगा ।

यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम से तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी । तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

12. <u>अनुज्ञा का अनुबन्ध</u> :

लाईसेंसधारी के लिए अनुबन्ध में ऐसा प्रावधान होगा कि वह परिवहन निगम के विरूद्ध सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होगा । परिवहन निगम किसी भी मामले में पक्षकार नहीं होगा । अनुबन्ध का प्रारूप परिशिष्ट-4 पर है ।

2

13. **वर्तमान स्टॉलधारक हेतु नये दिशा–निर्देशों का संचालन :**

परिवहन निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देश सभी नये लाईसेंसी पर जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगी । वर्तमान लाईसेंसी की अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर उक्त दिशा–निर्देश के अनुसरण में ही अनुबन्ध किया जावेगा ।

14. **सीजनल स्टाल:**

सीजनल स्टाल का आवंटन केवल बी.सी. व डी श्रेणी के बस स्टैण्ड पर ही किया जावेगा । सीजनल स्टाल आवंटन हेतु निम्न प्रकिया रहेगी :–

1. सीजनल स्टाल की नियमानुसार खुली निविदाएं स्थानीय समाचार–पत्र/नोटिस बोर्ड में प्रकाशन/चस्पा करवाकर आगारीय समिति द्वारा उच्चतम निविदादाता को आंवटित की जावेगी ।
2. सीजनल स्टाल हेतु स्थान मुख्य प्लेटफार्म से अलग होगा ।
3. नल–बिजली व्यय अलग से वसूल किया जावेगा ।
4. सीजनल लाईसेंस पूर्णतः अस्थाई आधार पर जारी किये जावेंगे व पूर्ण समयावधि की लाईसेंस फीस एक मुश्त अग्रिम निगम कोष में जमा करवानी होगी ।
5. समयावधि समाप्त होने के पश्चात लाईसेंस स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।
6. सीजनल लाईसेंस निम्न आईटम विकय हेतु जारी किया जा सकेगा :–

क.सं.	सीजनल वस्तुओं का नाम	आवंटन अवधि	धरोहर राशि
1.	मूंगफली, गजक,रेवड़ी एवं अन्य मौसमी पदार्थ	1 नवम्बर से 31 मार्च	5,000/–
2.	वाटर ट्रोली,कुल्फी,गन्ना रस,ज्यूस, आईसक्रीम व अन्य मौसमी पदार्थ	1 अप्रेल से 31 अक्टूबर	5,000/–

7. लाईसेंस अहस्तान्तरित होगा ।
8. निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/शर्तो की पूर्ण पालना की जानी होगी । जिनके उल्लंघन करने पर 48 घण्टे का नोटिस जारी कर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर सकेगी।

9

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

स्टाल आवंटन दिशा–निर्देश, 2007

द्वितीय–भाग

1. आवंटन की प्रकिया :

राजस्थान परिवहन निगम के 'ए' श्रेणी के बस स्टैण्ड पर स्टॉल के आवंटन का कार्य निम्न अंकित समिति द्वारा किया जावेगा । जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	महा प्रबन्धक (संचालन)	अध्यक्ष
2.	मुख्य प्रबन्धक	सदस्य
3.	प्रबन्धक (यातायात)	सदस्य
4.	प्रबन्धक (संचालन)	सदस्य
5.	प्रबन्धक(वित्त)	सदस्य सचिव

राजस्थान परिवहन निगम के बी,सी व डी श्रेणी के बस स्टैण्ड पर स्टाल के आवंटन का कार्य निम्न अंकित समिति द्वारा किया जावेगा । आगारीय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	मुख्य प्रबन्धक	अध्यक्ष
2.	प्रबन्धक (यातायात)	सदस्य
3.	प्रबन्धक (संचालन)	सदस्य
4.	प्रबन्धक(वित्त)	सदस्य सचिव

नोटः– जिन केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर अलग से मुख्य प्रबन्धक है वहां पर वे आगार स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे । यदि केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (वित्त) अलग से नियुक्त नहीं है तो वहां के आगार के प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (वित्त) सदस्य/सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

आगार के अधीनस्थ बस स्टैण्डों पर आवश्यक स्टॉल/बूथ के स्थान एवं उनकी संख्या का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा। लाईसेंस धारकों से लाईसेंस की सभी शर्तो की पूर्ति करवाना, लाईसेंस के नवीनीकरण/निरस्तीकरण समय पर शुल्क की वसूली करना, न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करना एवं नियमानुसार स्टाल खाली करवाना व अन्य आवश्यक कार्यवाही कराने का पूर्ण दायित्व आगार स्तरीय समिति का होगा तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का

उल्लंघन पाये जाने पर आगार स्तरीय समिति के सदस्यों को सामूहिक रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा ।

स्टॉल का आवंटन आगार स्तरीय समिति द्वारा खुली निविदा के माध्यम से किया जावेगा । समाचार–पत्र में प्रकाशन हेतु निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट 1 एवं 2 पर हैं ।

2. निविदा प्रकिया :

'ए' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु राज्य स्तरीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest money) के रूप में स्टाल से प्राप्त होने वाली मासिक लाईसेंस फीस को मध्य नजर रखते हुए रूपये 10,000/–,20,000/– एवं 50,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार, बीस हजार एवं पचास हजार मात्र) जमा कराने होंगे । धरोहर राशि का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा । अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटायी जावेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रदद कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निबिदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

वित्तीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/–रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिसआनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

'बी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु जिला स्तरीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/- (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest money) के रूप में मासिक लाईसेंस फीस को मध्य नजर रखते हुए रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) रूपये व 15,000/- (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) जमा कराने होंगे । धरोहर राशि का निर्धारण आगारीय समिति द्वारा किया जावेगा । अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।

- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/- रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

<u>पात्रता का निर्धारण</u> :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :-

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए । आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

<u>वित्तीय प्रस्ताव</u> :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/– रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्आनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

'सी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु स्थानीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 150/– (अक्षरे रूपये एक सौ पचास मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) जमा कराने होंगे । तथा अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए । आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

वित्तीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।
- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/—रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी । फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्ऑनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

स्टॉल आवंटन में आरक्षण :

राजस्थान परिवहन निगम के 'सी' श्रेणी के बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ के लिए निम्नानुसार आरक्षण देय होगा :–

- आवश्यकता एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर निविदा के माध्यम से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ के आवेदन केवल विकलांग एवं विधवाओं को ही आवंटित किये जावेंगे । अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को बूथ आवंटित किया जा सकेगा । निगम द्वारा स्वीकृत डिजाईन के अनुरूप 4X4 फीट का अस्थाई बूथ लाईसेंसधारी को (एकेलिकशीट आदि का) स्वयं के खर्चे पर बनवाना होगा, जो मुख्य प्लेटफार्म पर नहीं होगा ।
- निम्न संवर्ग के तहत आगार के बस स्टैण्ड पर अधिकतम दो कियोस्क खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को आवंटित किये जा सकेंगे :–
    - मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार प्रत्याशी
    - युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं
    - बी.पी.एल. सर्वे में चयनित व्यक्ति
    - अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के व्यक्ति।

'डी' श्रेणी के बस स्टैण्डों के लिए :

- उक्त बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु स्थांनीय समाचार–पत्रों में निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों को आगार स्तरीय समिति के समक्ष खोला जावेगा।
- निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 100/– (अक्षरे रूपये एक सौ मात्र) लिया जावेगा ।
- निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 5,000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) जमा कराने होंगे । तथा अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।
- अनुज्ञा (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व मासिक लाईसेंस शुल्क की तीन गुणा राशि सुरक्षा राशि के रूप में अनुज्ञाधारी को नकद निगम कोष में जमा करानी होगी यह राशि निगम कोष में अनुबन्ध समाप्ति तक जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध समाप्ति पर उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी ।

- अनुज्ञाधारी (लाईसेंसी) को निगम के साथ अनुबन्ध पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर राशि 100/– रूपये पर निष्पादित करना होगा ।
- लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने के तीस दिवस के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाईसेंस रद्द कर उपयोगिता के आधार पर द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्तावक को अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेंस का आवंटन किया जा सकेगा ।

पात्रता का निर्धारण :

आगारीय स्तरीय समिति द्वारा स्टाल आवंटन के समय आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया जावेगा :–

- निगम के विरूद्ध आवेदक का किसी भी न्यायालय में विवाद/प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में भी प्रार्थी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक के विरूद्ध निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होना चाहिए ।

वित्तीय प्रस्ताव :

निविदाओं में सुपात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दरों के आधार पर लाईसेंसी का निर्धारण किया जावेगा । किसी भी परिस्थिति में यात्री सुविधा/स्टालधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जावेगा ।

निविदा में यदि पूर्व में प्राप्त हो रही दर से 20 प्रतिशत कम राशि के प्रस्ताव प्राप्तहोने पर आगारीय समिति अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण को अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी ।

अनुज्ञा (लाईसेंस) शुल्क के भुगतान की विधि :

लाईसेंसधारी द्वारा निगम कोष में लाईसेंस फीस के भुगतान करने की विधि निम्नानुसार है :–

- स्टॉल आवंटन होने के पश्चात् लाईसेंसधारी द्वारा स्टाल/बूथ का कब्जा लेने से पूर्व प्रत्येक माह के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि के 12 पोस्ट डेटेड चैक आगार कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।
- लाईसेंस फीस के चैक अनादरण (dishonour) होने की स्थिति में निगम के खाते में बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि की वसूली लाईसेंसधारी से की जावेगी ।

12

- लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/-रूपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी। फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिरआनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जायेगी।

स्टाल आवंटन में आरक्षण :

राजस्थान परिवहन निगम के 'डी' श्रेणी के बस स्टैण्डों पर स्टॉल/बूथ के लिए निम्नानुसार आरक्षण देय होगा :-

- आवश्यकता एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर निविदा के माध्यम से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ आवेदन केवल विकलांग एवं विधवाओं को ही आवंटित किये जावेंगे। अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को बूथ आवंटित किया जा सकेगा। निगम द्वारा स्वीकृत डिजाईन के अनुरूप 4X4 फीट का अस्थाई बूथ लाईसेंसधारी को (एकेलिकशीट आदि का) स्वयं के खर्चे पर बनवाना होगा जो मुख्य प्लेटफार्म पर नहीं होगा।
- निम्न संवर्ग के तहत आगार के बस स्टैण्ड पर अधिकतम दो कियोस्क खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर अधिकतम दर देने वाले प्रस्तावक को आवंटित किये जा सकेंगे :-

  - ❖ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार प्रत्याशी
  - ❖ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं
  - ❖ बी.पी.एल. सर्वे में चयनित व्यक्ति
  - ❖ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के व्यक्ति।

स्टाल खाली करवाने की कार्यवाही कराने हेतु:

यदि कोई लाईसेंसी दुकान/स्टाल/बूथ लाईसेंस अवधि के बाद खाली नहीं करता है तो आगारीय समिति परिपत्र संख्या प0/एल-131/मु./2/संपत्ति/ 01 /498 दिनांक 6.7.2001एवं राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प0 5(7)/सा0प्र0/2/75 दिनांक 23.4.2001 के अनुसार लाईसेंसी से स्थान खाली करवाने की तुरन्त कार्यवाही करेंगी (परिशिष्ट -आठ)।

परिशिष्ट 1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम.......................आगार

निविदा सूचना

निगम बस स्टेण्डों पर केंटीन स्टाल लाईसेंस पर लेने का सुनहरा अवसर

निगम के केन्द्रीय बस स्टेण्ड ....पर निम्नलिखित स्टॉल/बूथ हेतु लाईसेंसी नियुक्त किया जाना है ।

क.सं.	स्टॉल की प्रकृति	साईज	विशेष विवरण
1.			
2.			
3.			

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित राशि रूपये ..../– रूपये नकद जमा करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि रूपये ..../– नकद अथवा डी.डी. /बैंकर्स चैक मुख्य प्रबन्धक,राजस्थान परिवहन निगम...................... के नाम हो, के रूप में जमा करानी होगी । निर्धारित धरोहर राशि जमा कराये बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे ।

इच्छुक व्यक्ति/ संस्थान अपने प्रस्ताव दिनांक .... को मध्यान्ह पश्चात् 15.00 बजे तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं जो उसी दिन सायं 15.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे । किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

मुख्य प्रबन्धक

........................आगार

13 :-20/-

परिशिष्ट–2

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

निविदा प्रपत्र संख्या एफ/मु.प्र./.../2007/

दिनांक:

निविदा प्रपत्र की राशि
जमा रूपयें ..../–
अक्षरे..............................रूपयें मात्र,

नकद/रसीद संख्या ------
दिनांक :---------

मुख्य प्रबन्धक.............आगार

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पता : ------------------------
   ----
2. टेलीफोन नम्बर : कार्यालय ---------------
   निवास ---------------
3. टेलेक्स/फेंक्स नम्बर ------------------------
4. व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण ------------------------
5. धरोहर राशि ------------------------
6. धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद सं./ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर ------------------------
   दिनांक ------------------------
7. देय लाईसेंस शुल्क राशि रुपयें राशि प्रति माह रूपयें----------
   शब्दों में ....
8. निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण------------------------
9. निविदादाता का बैक अकाउन्ट किस बैक में है, नम्बर सहित दर्शाये।------------------------
10. निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित।------------------------
11 अन्य विवरण ------------------------

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

20

परिशिष्ट–2 का भाग

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

घोषणा पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/ डी.डी. संख्या/बैंकर्स चैक संख्या ------- दिनांक ------------राशि रुपयें---------- जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया हैं।

2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तो की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ लाईसेंसी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूगी/देगें।

3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्थान को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नहीं दिये गये हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता मय
पद/हेसियत व मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर

निविदा शर्ते

निविदा शुल्क – .... रूपये मात्र
निविदा दिनांक ....
निविदा प्राप्ति समय........................
निविदा खोलने का समय ....

कैंटीन/स्टाल/बूथ के आवंटन/ संचालन की निविदा शर्ते निम्न है:–

1– निगम परिसर में दुकान/स्टाल/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जावेगी । एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी के विरूद्व कोई राशि बकाया नही होने/सन्तोषजनक सेवायें रहने पर लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्वि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा. । जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/– रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा । उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा-निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी । अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पडेगा। लाईसेंसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्व वाद दायर नहीं किया जा सकेगा ।

2– लाईसेंस पर दुकान/स्टाल/बूथ /खाली स्थान लेने हेतु लाईसेंसी को एक सौ रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित मे अनुबन्ध करना होगा ।

3– लाईसेंस पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामाग्री का ही वेचान किया जा सकेगा .इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का वेचान नही किया जावेगा :–

1.
2.
3.

4— निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ..../— रूपये (अक्षरे............ रूपयें मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नगद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी । लाईसेंस आवंटित होने पर लाईसेंसी को दस दिवस में [redacted] उक्त धरोहर एंव सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी । लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नही करने पर धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेंस रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम् निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेंस आवंटन किया जा सकेगा।

5— निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान / स्टाल / खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसी को 24 घन्टे के अन्दर अपने स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एंव उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेंस दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जावेगें एंव उसका अनुमोदन जोन के महा प्रबन्धक के स्तर से किया जावेगा जब भी लाईसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाईसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसें लाईसेंसधारी को प्राथमिकता दी जावेगीं। यदि नबीन लाईसेंस शुल्क / दरों के लिए पूर्व लाईसेंसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एंव नये स्थान का लाईसेंस भी निर्धारित प्रकिया से निविदायें आमंत्रित कर आवंटन किया जावेगा । ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तर दायितव के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।

6— लाईसेंसी मासिक लाईसेंस फींस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगें, देगा । माह की 07 तारीख तक लाईसेंस फीस जमा नही कराने अथवा लाईसेंस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने / वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा । ऐसा नही किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसंर में प्रवेश कर दुकान / स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।

7— लाईसेंसी स्वयं के खर्चे पर संबधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबधित विभाग को कनेकशन बन्द करने लिए सूचित करेगा।

8— आवंटित दुकान / खाली स्थान पर लाईसेंसी मादक पदार्थ जैसे शराब,बीयर,अफीम,गांजा, चरस,व सरकार द्वारा प्रतिबधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।

9– लाईसेंसी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।

10– लाईसेंसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थो की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकान/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ सके। लाईसेंसी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नही करा सकेगा ।

11– निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नही होगा ।

12– यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगीं। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त करली जावेगी।

13– दुकानें / स्टाल/ बूथ का लिया गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

14– अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तो एवं अनुबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे । उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं । पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा ।

15– लाईसेंसी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेंसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेंस दे दिया जावेगा।

16– लाईसेंसी द्वारा निगम से समय समय पर जारी आदेश/ शर्तो का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।

17– दुकान/ स्टाल/ बूथ पर गुणवत्ता पदार्थो का ही विक्रय किया जा सकेगा।

18– लाईसेंसी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेंसी द्वारा ही सीधे संबंधित विभाग में जमा कराया जावेगा।

19– यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेंस उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में किसी भी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

20— यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदा दाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे :—

1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति । (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/ वर्तमान ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, पैन कार्ड,इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति) ।
3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100/— रूपयें के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।

21— निविदा प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे ।

22— निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट—छांट ना हो । प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे ।

23— निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे ।

24— यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/ वा विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।

25— ~~यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/ विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।~~

27— संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।

28— मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे स्वीकार है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

16

परिशिष्ट –4

100 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ---------------को मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम आगार जो कि निगम कहलायेगा एंव श्री/श्रीमति---पिता/पति का नाम श्री ---वर्तमान पता---
----

स्थाईपता---

जो कि लाईसेंसी कहलायेगा, के मध्य निम्नलिखित शर्तो पर निष्पादित किया जा रहा हैः–

1– यह है कि राजस्थान परिवहन निगम आगार परिसर में लाईसेंस पर निर्मित दुकान नम्बर------------------------/स्टाल संख्या------------/बूथ नम्बर----------------/खाली स्थान साईज---------------------जो ------------------------------स्थित हैं,------------व्यवसाय हेतु लाईसेंसी को सबजेक्ट टू सेक्शन 52से 63 आफ दी इण्डियन ईजमेंट एण्ड लाईसेंस एक्ट 1882 के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है ।

2– आवंटित स्टाल/बूथ में लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में निम्न वस्तुओं/पदार्थो का ही व्यवसाय किया जावेगा :–

1.
2.
3
4
5
6
7
8

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ/सामग्री पदार्थ/सामग्री का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

3— इस दुकान/स्टाल/बूथ संचालन की मासिक लाईसेंस फीस ------------- राशि शब्दों में रूपये मात्र होगी ।

4— यह लाईसेंस अवधि दिनांक---------दिनांक-------------के लिये मान्य होगा ।

5— निगम बस स्टैण्डों पर आवंटित दुकान नम्बर/स्टाल संख्या/बूथ संख्या/खाली स्थान लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए लाईसेंस फीस पर आवंटित की जाती है। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर 10 प्रतिशत राशि बढाकर अर्थात पूर्व लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्वि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुए अगले एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जावेगा । जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/— रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/— रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा । उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा—निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी । उक्तानुसार नवीनीकरण नहीं कराने पर/ अवधि समाप्ति पर पूर्व में किया गया अनुबन्ध/जारी लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । इसके लिए पृथक से नोटिस आदि जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा लाईसेंसी को दुकान/स्टाल/बूथ दुकान/स्टाल/बूथ /खाली स्थान स्वतः खाली करना होगा । इसके लिए वह किसी भी अधिकार क्षेत्र न्यायालय में वाद दायर नही कर सकेगा।

6— निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वो स्टाल/केंटीन/बूथ का स्थान निर्धारित प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा जाने पर बदल सकेगा इस बारे में निगम के द्वारा लिखित में निर्देश दिये जाने के 24 घन्टे के अन्दर—अन्दर लाईसेंस धारक उसके स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से समस्त सामान उठाकर नई जगह पर ले जावेगा ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंस धारक उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तदरदायित्व के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।

7— लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग को करेगा लाईसेंसधारी निगम की बिजली व पानी का उपयोग नही करेगा ।जहां लाईसेंसधारी को बिजली व पानी के लिए निगम की ओर से कनेक्शन पूर्व में दिया हुआ है वहा लाईसेंसधारी बिजली का सब मीटर स्वयं के खर्चे पर लगवायेगा तथा बिजली व पानी का खर्चा जो कि निगम के द्वारा निर्धरित किया गया हो, को निगम को देय तारीख से कम से कम दो दिवस पहले निगम में जमा करवायेगा ऐसा नही किये जाने की सूरत में निगम के द्वारा उसका बिजली व पानी का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जावेगा ।

8– निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि एक विषय सम्बन्धी लाईसेंसधारी के अलावा उक्त विषय में अतिरिक्त लाईसेंस भी उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को यात्रियों की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में कोई एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा ।

9– लाईसेंसधारी उक्त स्टाल/कैंटीन/बूथ पर कोई विज्ञापन पट्ट अथवा कोई विज्ञापन नोटिस नही लगावेगा ।

10– लाईसेंसधारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नही रखेगा जो कि फैलने वाली किसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसकी साख खराब हो अथवा जो अपराधी प्रवृत्ति का हों। निगम के द्वारा इस बारे में लिया गया निर्णय लाईसेंसधारी को मान्य होगा।

11– लाईसेसधारी द्वारा अपनी स्टाल/बूथ/दुकान पर रखे जाने वाले नौकर एंव कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम एंव पते सहित सूची मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी तथा सूची में अंकित व्यक्ति ही उक्त स्थान पर कार्य करने के लिए अधिकृत होगें । सूची में नाम नही होने पर कार्य करने वाला अतिकमि होगा एंव सूची में नाम अंकित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थान पर एक सप्ताह की अवधि तक अतिकमण करने पर लाईसेंस समाप्त समझा जावेगा तथा धरोहर राशि ज़ब्त की जा सकेगी । नोकर अथवा कार्य करने वाले कर्ता के बदलने पर उसकी सूचना संबंधित मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी।

12– निगम अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति को स्टाल/कैंटीन पर उपयोग में लाये जाने वाले /बेचे जाने वाले खाने के पदार्थो की स्वच्छता की जांच कर सकेगा ऐसे पदार्थ अस्वच्छ होने पर उनके बेचे जाने पर रोक लगाये जाने का अधिकार होगा ।

13– लाईसेंसधारी अथवा उसके द्वारा कार्यरत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगें कि वे साफ सुथरे रहे तथा अन्य यात्रियों की शालीनतापूर्वक सेवा करने को तत्पर रहें।

14– लाईसेंसधारी अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नही आवेगा।

15– लाईसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वो कैंटीन/स्टाल/बूथ का उषयोग केवल निर्धारित कार्य के उपयोग में लावेगा। वो ऐसे स्थान को विश्राम स्थल अथवा किसी अन्य अनाधिकृत कार्य के उपयोग में नहीं लावेगा ।

16– लाईसेंसधारी उसके स्टाल पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब,बीयर,अफीम,गांजा,चरस आदि न तो रखेगा न ही बेचेगा।

17– लाईसेंसधारी केवल उस कीमत पर अधिकृत वस्तुओं का बेचान करेगा जो कीमत निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई है। निगम के द्वारा निर्धारित दरों की एक सूची स्पष्ट तौर पर स्टाल/बूथ में लगावेगा।

18– लाईसेंसधारी उसके द्वारा देय लाईसेंस फीस के अलावा उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को, देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंसधारी पर लागू लाईसेंस अथवा परमिट आदि लेने की आवश्यकता हो तो वह स्वयं की जिम्मेदारी पर देय फीस का भुगतान कर प्राप्त करेगा ।

19– लाईसेंसधारी एक सूचना पट्ट अपनी स्टाल पर लगायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया होगा कि बूथ द्वारा जो सामान/वस्तुएं विक्रय की जा रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में या बूथ पर पदस्थापित किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो शिकायत पुस्तिका में शिकायत अंकित कर सकते है। यह शिकायत पुस्तिका निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी जो कि इस हेतु अधिकृत है ।

20– लाईसेंसधारी अनुज्ञा पत्र के तहत् किये जाने वाले व्यवसाय के लिए आवश्यक फर्नीचर,फिक्सर्च,टेबल,कुर्सी ,ग्लास,क्रोकरी, व स्टोर सम्बन्धी सामग्री स्वयं अपने व्यय से लगावायेगा या रखेगा जो कि उसके व्यवसाय के लिए आवश्यक है ।

21– लाईसेंसधारी अपने स्टाल में उपयोग किये जाने वाले बर्तन,फर्नीचर व स्टाल में उपयोग में लिये जाने वाले समस्त खाद्य व अखाद्य पदार्थ स्वच्छ तरीके से निगम अधिकारियों के सन्तुष्टी के मुताबिक रखेगा। निगम के अधिकारियों को स्टाल में जाकर इस बारे में मुआयना करने का अधिकार होगा व लाईसेंसधारी इस बारे में कोई एतराज करने का अधिकार नही रखेगा । निगम के द्वारा निर्देशानुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा मुआयना करने पर पाई गई त्रुटियों को लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर निगम के आदेशानुसार दूर करेगा जो कि निगम या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सन्तुष्टी के मुताबिक होगा।

22– लाईसेंसधारी स्टाल के आस–पास की जगह को साफ सुथरी व स्वच्छ तरीके से रखेगा ,बर्तन आदि धाने के पानी को स्टाल से बाहर नही फैलायेगा व न ही बर्तनों को स्टाल से बाहर लाकर धोयेगा तथा बाहर कचरा पात्र रखेगा ।

23– निगम द्वारा लाईसेंसी को पन्द्रह दिवस का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। निगम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इसके सम्बन्ध में कोई कारण का उल्लेख नोटिस में करे।
निम्नलिखित परिस्थितियों में लाईसेन्स को केवल मात्र 48 धन्टों का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा निरस्त किया जा सकता है:–

(क) यदि लाईसेन्सधारी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

(ख) यदि लाईसेन्सधारी एक माह की अवधि की लाईसेन्स फीस जमा कराने में असफल रहा हो।

(ग) यदि लाईसेन्सधारी लाईसेन्स की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है।

(घ) यदि लाईसेन्सधारी ने लाईसेन्स प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निविदा में कोई अधूरी,गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो । लाईसेन्स के निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा । लाईसेंसधारी परिसर में 24 घन्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा । ऐसा नहीं किये जाने पर निगम का सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा देगा। लाईसेंसधारी

30– लाईसेंस फीस य अन्य राशि जो निगम को नियमानुसार जमा करवाई जावेगी, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वापिस लेने का लाईसेंसधारी को कोई अधिकार नहीं होगा। निगम द्वारा स्टाल/केंटीन वन्द किये जाने के दौरान [illegible] के लिए व्यवसाय वन्द होने के आधार पर भी कोई लाईसेंस फीस या अन्य जमा करवाई गई राशि लाईसेंसधारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। सडक यातायात के विलम्बित होने, बसों के आवागमन व रूकने के समय में परिवर्तन होने/बसों के देरी से आने या रवाना होने के कारण, कर्मचारियों की हडताल के कारण, आगार परिसर में किये जाने वाले व्यवसाय में व्यवधान होने पर लाईसेंसधारी को लाईसेंस फीस या अन्य राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निगम से प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। लाईसेंसधारी को इन परिस्थितियों में लाईसेंस फीस आदि यथावत तौर पर जमा करवानी होगी।

31– लाईसेंसधारी उसको आवंटित स्टाल/केंटीन पर व्यवसाय स्वयं की जोखिम पर करेगा और निगम का लाईसेंसधारी से किसी यात्री/आम जनता या निगम के कर्मचारी द्वारा लियां गया ऋण एवं अन्य सामान के लिए कोई उत्तदायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी या एजेन्ट के द्वारा दूषित अथवा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ या अन्य सामान के बेचने या वितरण के फलस्वरूप किसी यात्री /निगम कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वह स्वयं उत्तादायी होगा निगम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

32– लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस की शर्तो के अनुरूप असन्तोषजनक या असफल सेवा निगम की सन्तुष्टि के अनुरूप नहीं होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के खर्चे व जोखिम पर अन्य इन्तजाम करें एंव ऐसी परिस्थिति में लाईसेंस फीस और धरोहर राशि को जब्त करें ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी को, निगम या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

33– लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की कोई दुर्घटना अथवा किसी अन्य प्रकार से चोट अथवा मृत्यु होने की सूरत में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अदा करने के दायित्व से निगम मुक्त रहेगा। निगम का ऐसी स्थिति में कोई भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही से की गई आगार परिसर में कोई दुर्घटना होती है और निगम को उसके लिए कोई वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य किसी कारण से बनती है व भुगतान करना पडता है तो ऐसी सूरत में निगम लाईसेंसधारी से भुगतान अथवा खर्च की गई राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

34– लाईसेंसधारी निविदा में दी गई शर्तो एंव सामग्री के अनुरूप ही अपने केंटीन/स्टाल में व्यवसाय करेगा। अन्य किसी और प्रकार का व्यवसाय /कार्य करने का अधिकारी नही होगा। लाईसेंसधारी द्वारा उसे आवंटित परिसर के अलावा निगम की अन्य कोई भूमि/परिसर पर अनाधिकृत रूप से उपयोग या उपभोग नही करेगा । यदि लाईसेंसधारी स्टाल/केंटीन के

का फर्नीचर व अन्य समस्त सामान अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा व उसको बिकी या अन्य प्रकार से डिस्पोज कर हटाने का अधिकार होगा और निगम ऐसी सूरत में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा । निगम द्वारा इस सम्बन्ध में किया गया समस्त खर्चा सामान की बिकी मूल्य या अमानत राशि में से वसूली का अधिकारी होगा।

24– लाईसेंसी के विरूद्ध मासिक लाईसेंस फीस व अन्य देय राशि बकाया रहने पर उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथ बकाया राशि वसूली हेतु जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने के विरूद्व लाईसेंसी न्यायालय में कोई विवाद नही ले जा सकेगा।

25– यदि स्टालधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी । तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

26– लाईसेंसधारी की लाईसेंस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति लाईसेंसधारी आश्रित उसकी पत्नी एवं आश्रित बच्चे के नाम पर लाईसेंस की शेष अवधि के लिए लाईसेंस हस्तान्तरण किया जा सकेगा । पत्नी के स्वयं स्टॉल संचालित करने में सक्षम नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालिग होने की दशा में पत्नी के शपथ–पत्र पर पत्नी के माता–पिता,भाई बहन या नाबालिग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार सम्बन्धित आगार स्तरीय समिति का अनुमोदन उस जोन के महा प्रबन्धक (संचालन) से कराने के पश्चात् ही मृतक लाईसेंससधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा ।

27– लाईसेंसधारी पर नोटिस की तामिल पूर्ण समझी जावेगी यदि कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है । यदि लाईसेंसधारी द्वारा निविदा में दिये गये पते में कोई परिवर्तन होता है तो लाईसेंसधारी संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक को लिखित/ रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिवर्तित पते से सूचित करना होगा ।

28– लाईसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा निगम द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों पर लाईसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी को निगम के परिसर में प्रवेश करने और किसी प्रकार का व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो बिना अधिकार के अतिकमण करने वाला अतिचारी होगा जो कि अपराधिक अतिचार के अपराध से दण्डित किये जाने का उत्तरदायी होगा।

29– लाईसेंस की इन शर्तो से लाईसेंसधारी के पक्ष में इस परिसर के सम्बन्ध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगा और लाईसेंस के निरस्त होने पर निगम को स्टाल/केंटीन मे प्रवेश करने का व पुनः कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

अलावा अनाधिकृत रूप से अन्य कोई परिसर का उपयोग व उपभोग करता है तो उस अवधि का लाईसेंस फीस के पांच गुणा राशि का भुगतान प्रत्येक माह के अनुसार करने का जिम्मेदार होगा व निगम को स्टाल/कैंटीन आदि लाईसेंस को ऐसी सूरत में निरस्त करने का अधिकार होगा। इन परिस्थितियों में लाईसेंसधारी द्वारा निगम को देय राशि अथवा जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या सक्षम व्यक्ति के समक्ष चुनौती देने का व वास्तविक पुकारान को प्रमाणित करने के लिए वाध्य नही किया जा सकेगा और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार ही होगा।

35– यदि निगम या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की राय के अनुसार उपरोक्त संपत्ति में कोई नुकसान लाईसेंसधारी अथवा उसके ऐजेन्ट या कर्मचारी की असावधानी या लापरवाही से हुआ है तो ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी निगम को उस नुकसान का हर्जाना अदा करेगा। ऐसे नुकसान की गणना निगम के मुख्य प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता (सिविल) अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसकी गणना के लिए खर्च की गई राशि की अदायगी का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। उपरोक्त अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी तथा लाईसेंसधारी पर बाध्यकारी होगी।

36– लाईसेंसधारी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा निगम द्वारा आवंटित परिसर पर किये जाने वाले अस्थाई निर्माण को दिये गये डिजायन के अनुसार ही किया जावेगा। अपनी स्वेच्छा से आवंटित स्टाल/कैंटीन पर कोई निमार्ण कार्य नही किया जावेगा । अस्थाई निर्माण से संबंधित दिये गये डिजायन के अनुसार ही निर्माण किये जाने वाले व्यय को स्वयं लाईसेंसधारी वहन करेगा। अस्थाई निर्माण निगम के अधिकारी की सन्तुष्टी के अनुरूप होगा। लाईसेंस की अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण निगम के द्वारा अवाप्ति करने की स्थिति में लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर समस्त निर्माण हटा लेगा। लाईसेंसधारी किसी भी सूरत में आवंटित स्थान पर स्थाई निर्माण नही करेगा।

37– सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश जब्त होने या समायोजित होने या लाईसेंस के प्रावधानों एंव शर्तो के अनुसार निगम द्वारा उपयोग/समायोजित किये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी लिखित सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर पुनः सुरक्षा राशी जमा कराने के लिए बाध्यकारी होगा व सुरक्षा राशि की पूर्ति करेगा। ऐसा नही करने पर लाईसेंसधारी का लाईसेंस निरस्त माना जावेगा।

38– लाईसेंस की अवधि समाप्ति पर लाईसेंस निरस्त होने पर निगम की कोई बकाया नहीं होने की स्थिति में एक माह के भीतर लाईसेंसधारी को उसकी जगा धरोहर व सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। यदि निगम और अनुज्ञा पत्र धारी के मध्य अनुज्ञा पत्र या अन्य किसी देय राशि के सम्बन्ध में कोई विवाद/बकाया राशि रहने पर निगम को उक्त धरोहर व सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश अपने पास रखने का अधिकार होगा जब तक की विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नही हो जावे।

39– अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तो एवं अनुबन्ध के निर्विघ्न के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच

निर्णायक होंगे । जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे । उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं । पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा ।

40- लाईसेंसधारी के द्वारा प्रस्तावित फीस की स्वीकृति निगम के द्वारा किये जाने पर लाईसेंसधारी उसके हक में स्वीकार दर की तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा की राशि संबंधित मुख्य प्रबन्धक को ड्राफ्ट/पे-आर्डर अथवा नकद इस बारे में लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर-भीतर जमा करवायेगा। ऐसा नही किये जाने पर उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि निगम के द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा धरोहर व सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा । सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी को स्टाल/कैंटीन चलाने की स्वीकृति नही दी जावेगी । निगम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सुरक्षा राशि में से लाईसेंसधारी की तरफ बकाया इस अनुबन्ध अथवा अन्य अनुबन्ध के तहत अथवा अन्य किसी भी राशि का समायोजन इस राशि में से किया जा सकेगा

41- जिस फर्म के पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उस फर्म को अपना व्यवसाय लाईसेंस जारी करने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर-भीतर प्रारम्भ करना होगा। यदि लाईसेंसी फर्म ऐसा करने में असफल रहती है तो उसका लाईसेंस निरस्त कर दिया जावेगा व धरोहर राशि निगम जब्त कर लेगा। तदुपरान्त निविदा के आधार पर दूसरी उच्चतम बोली वाली फर्म को लाईसेंस आंवटित कर दिया जावेगा। फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेंस फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिसदिनांक से उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

42- फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है, को 12 अग्रिम पोस्टेड चैक निगम के कार्यालय में जमा कराने होंगे जो कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को देय होगें। हर एक चैक प्रत्येक माह की लाईसेंस फीस के भुगतान के लिए निगम को देय होगा 12 चैक में से कोई भी चैक अनादृत /तिरस्कृत हो जाने की दशा में लाईसेंसी को सात दिवस का रजिस्टर्ड नोटिस /अनादृत/तिरस्कृत चैक की राशि एवं बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि जमा कराने हेतु दिया जावेगा। यदि राशि जमा नहीं कराई जाती है तो लाईसेंस समाप्त कर दिया जावेगा। इसके साथ ही निगम नियमानुसार संबधित फर्म के विरूद्व कार्यवाही करेगा।

43- लाईसेन्सी द्वारा निर्धारित अवधि मे लाईसेन्स फीस निगम कोष मे जमा नही करवाने पर प्रतिदिन 50/-रू0 अथवा चैक राशि का 1% (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ती जमा करानी होगी फिर भी लाईसेन्सधारी द्वारा भुगतान नही किये जानेपर चैक अनादरण होने की स्थिति मे लाईसेन्सधारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जावेगी।

44- वित्त मंत्रालय भारत सरकार (राजस्व विभाग) न्यू देहली की अधिसूचना संख्या-24/2007- सेवा कर द्वारा दिनांक 1.6.07 से निगम परिसर मे आवंटित दुकान, स्टाल, बूथ जो लाईसेन्स पद्धति पर आवंटित है, पर देय मासिक लाईसेन्स फीस पर सेवा कर, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अधिभार कुल 12.36 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेन्सी द्वारा निगमको भुगतान करना होगा। यह दर भारत सरकार द्वारा समय-2 पर जारी अधिसूचनानुसार रहेंगी।

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

R.N.I. No. RAJ BIL/2000/1717
POSTAL REGD. No. J.P.C./...
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

माघ 5, मंगलवार, शाके 1926—जनवरी 25, 2005
Magha 5, Tuesday, Saka 1926—January 25, 2005

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 23, 2001

एस. ओ. 306—राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 (राजस्थान अधिनियम संख्या 2 सन् 1965) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम (प्रशासन), जयपुर को जयपुर जिले में तथा जयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य समस्त जिलों में जिला मुख्यालय पर पद-स्थापित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित जिले में, स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, की सम्पत्तियों पर से अप्राधिकृत अधिभोग और अतिक्रमण को बेदखली करने हेतु सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए शक्तियां प्रदान करती है।

(संख्या प. 5 (7) सा. प्र./2/75)

राज्यपाल की आज्ञा से,
विनोद जुत्शी,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।

क्रमांक:प0§स्त-131§/मु0/2/सम्पत्ति/01/488 दिनांक:- 6-7-2001

परिशिष्ट "8"

कार्यालय-आदेश

दिनांक 1·10·64 से राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना के समय राज्य सरकार द्वारा काफी तादाद में सम्पत्तियाँ §भूमि/भवन§ निगम को हस्तान्तरित की गई थी । तत्पश्चात् निगम ने भी विभिन्न स्थानों पर भू-सम्पत्ति क्रय करके बस स्टैण्डों/भवनों का निर्माण कराया है । कुछ स्थानों पर तो पूर्व में ही अनाधिकृत कब्जे चले आ रहे है, निगम के कई बस स्टैण्डों पर कई व्यवसायियों को लाईसेंस फीस के आधार पर दुकानें आवंटित की गई है, उनमें से अनेक व्यवसायियों ने किसी न किसी बहाने न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर येन-केन प्रकारेण कब्जा रखते हुए लाईसेंस फीस देना भी बन्द कर रखा है ।

इसके लिए निगम ने राज्य सरकार से सरकारी स्थान§अनाधिकृत अधिभोगियों के बेदखली संशोधन अधिनियम 1964 में संशोधन कर इस संशोधन में राजस्थान परिवहन निगम को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया था ।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि राजस्थान अधिनियम संख्या 10,1997 के द्वारा 1964 के मूल अधिनियम में उप खण्ड 10 निम्नलिखित-रूप से जोड़ा गया है, जिसके अधीन यह निगम भी आता है । अत: आप इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं । मूल अधिनियम में जोड़ा गया अंश इस प्रकार है :-

" किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगमित निकाय की ओर " ।

अत: निगम भू-भवन सम्पत्तियों से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही सार्वजनिक स्थान§अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली§ अधिनियम 1964 के अन्तर्गत § राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23·4·01§प्रति संलग्न§ के तहत सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी को सम्पूर्ण विवरण सहित प्रकरण भेजकर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही कराई जावें ।

इस बारे में लेख है कि राजस्थान सार्वजनिक स्थान§अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली§ अधिनियम की धारा 2 के तहत वर्णित सम्पदा अधिकारी व निगम सम्पत्ति से अप्राधिकृत अधिभोग और अतिक्रमण को धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 5 अनुसार अतिक्रमण विमुक्ति की कार्यवाही करेंगे । सम्पदा अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में 1966 के नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रोफोर्मा उपलब्ध कराये हुये है तथा सम्पदा अधिकारी के समक्ष राजस्थान सार्वजनिक स्थान अप्राधिकृत अधिभोग अधिनियम 1966 के तहत निगम पक्ष की पैरवी किसी अधिकारी अथवा अधिवक्ता की नियुक्ति इस हेतु करते हुए कराई जा सकती हैं ।

संलग्न:- उक्त वर्णित ।

प्रबन्ध निदेशक